

29/12/2022

आगिलेख उपलब्धित / दैनदार द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नजारेत शाखा में N.R.No.-3409481 दिनांक- 29/12/2022 के द्वारा जमा किया गया है।

शाखा प्रबंधक SBI के द्वारा मासिक रूप से बताया गया कि दैनदार द्वारा अपनी मूल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात दैनदार से संबंधित नीलाम पत्र वाद लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत विव्यादन किया जाता है।

वर्तमान में दैनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में नीलाम पत्र वाद विव्यादन की प्रतीक्षा में आगिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लखवापत

नीलाम पत्र वदाधिकारी
-याकुलिमा।